"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर 2016— कार्तिक 25, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 (कार्तिक 25, 1938)

क्रमांक-11868/वि. स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) जो बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 26 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) में संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. (एक) छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ग-1) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है आयोग का उपाध्यक्ष."

(दो) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द "एवं उपाध्यक्ष" जोड़ा जाये.

धारा 3 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द "एवं उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष (चेयरपर्सन)" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह ",उपाध्यक्ष (वाइस चेयरपर्सन)" अन्त:स्थापित किया जाये.

(दो) उप-धारा (2) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह " ,उपाध्यक्ष " अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 6 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (ङ) में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह ",उपाध्यक्ष" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 8 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) आयोग की बैठकें, अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी, जो बैठक की अध्यक्षता करेगा एवं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष बैठक आहूत करेगा एवं उसकी अध्यक्षता करेगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

प्रशासकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) में उपाध्यक्ष का उपबंध सम्मिलित करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 11 नवम्बर, 2016

बृजमोहन अग्रवाल
पशुधन विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2016 के खण्ड 2, 3, 4, 6, 8 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रति वर्ष अनुमानत: रुपये 23,21,400.00/- (रुपये तेईस लाख इक्कीस हजार चार सौ) केवल का अतिरिक्त आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2, 3, 4, 6 एवं 8 का उद्धरण

धारा-2 परिभाषाएं	(ग)	"अध्यक्ष (चेयरपर्सन)" से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष.
	(ङ)	"सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य और उसके अंतर्गत अध्यक्ष आता है.
धारा-3 आयोग का गठन		राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के नाम से जाना जायेगा, आयोग अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनेगा -
धारा-4 सदस्यों की नियुक्ति		सदस्यों की नियुक्ति निम्नानुसार होगी
	(1)	राज्य सरकार आयोग, अध्यक्ष (चेयरपर्सन) एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगी.
	(2)	आयोग का अध्यक्ष एवं प्रत्येक अशासकीय सदस्य नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेगा.

धारा -6 आयोग के सदस्यों के नियुक्ति निबंधन और शर्तें	3	(ङ)	राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का उस पद पर बना रहना पशु के हित में या लोक हित में अपायकर हो गया है.
धारा -8 आयोग का मुख्यालय तथा सम्मिलन		(3)	आयोग के सम्मिलन अध्यक्ष द्वारा आयोजित किये जाएंगे जो, उस समय जबकि वह उपस्थित है, ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.